



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2421]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2011/पौष 6, 1933

No. 2421]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2011/PAUSA 6, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2011

का.आ. 2901(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1791 (अ), तारीख 3 अगस्त 2011 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 के 110.000 कि.मी. से 189.500 कि.मी. तक (देवीहल्ली -हसन सेक्शन) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

और प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में मैसर्स एल एंड टी देवीहल्ली हसन टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जो 09.04.2010 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पी.ओ बाक्स 979, माउंट पूनामल्ली रोड, मनापक्कम, चैन्नई - 600089 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 के 110.000 कि.मी. से 189.500 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) देवीहल्ली - हसन सेक्शन का पेड शोल्डर सहित चार/दो लेन में विकास करने और प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" कहा गया है) किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में विनिहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर चार लेन के खण्ड के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की लम्बाई 58.332 कि.मी के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क और 18.896 कि.मी

लम्बाई के पेड शोल्डर वाली दो लेन की सड़क खण्ड के लिए आधार दर के साथ प्रतिशत की दर से शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आधार दर” कहा गया है) उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट अवसान की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित करने के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है ;

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. फीस की आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपस्कर (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बहुत बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पण :-

1. फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा ।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
119.100 कि.मी , किरासेव ग्राम के पास , हसन जिले में	31.993 कि.मी चार लेन और 9.147 कि.मी दो लेन
169.350 कि.मी , शांतिग्रामा गांव ग्राम के पास , हसन जिले में	26.339 कि.मी चार लेन और 9.749 कि.मी दो लेन

2. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00 रुपये (एक सौ नब्बे रुपये मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अधधीन है ।

3. राजमार्ग संरक्षण पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

4. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगले उच्च प्रवर्ग के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
 5. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
 6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
 7. फीस का पुनरीक्षण उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु वह पूर्ववर्ती पुनरीक्षण की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर नहीं किया जायेगा।
- [फा. सं. भाराप्र/13013/656/सीओ/11-12/जीसी बंगलौर (110.0-189.5) बीओटी]
बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2011

S.O. 2901(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1791 (E), dated the 3rd August, 2011, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 110.000 to kilometer 189.500 (Devihalli - Hassan section) of National Highway No. 48 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s L & T Devihalli Hassan Tollway Private Limited, having its registered office at P O Box 979, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai - 600089 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 09.04.2010 for the development of Devihalli - Hassan section from Km 110.000 to Km 189.500 on National Highway No. 48 (hereinafter referred to as the "said section") to four/two lane paved shoulder and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net

road section of 58.332 Km length for use of the four lane section and at sixty percent of the base rate for use of two lane with paved shoulder section of 18.896 Km length (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 119.100, near Kirasave Village in Hassan District.	31.993 kilometer four lane and 9.147 kilometer two lane.
Km 169.350, near Shanthigrama Village in Hassan District.	26.339 kilometer four lane and 9.749 kilometer two lane.

2. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 190.00 (rupees One Hundred Ninety only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

4. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
5. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
6. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
7. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provide that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/656/CO/11-12/GC Bangalore(110.0-189-5) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director

4689 92711-2